न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
(बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :— 01/2013
दायर दिनांक :— 30—01—2013
निर्णय दिनांक :— 22—12—2017

अनवान

1.श्रीमती राजीबाई पुत्री स्व0नानालाल जी जाति तेली निवासी रिछेड हाल राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द
2.श्रीमती सुखीबाई पुत्री स्व0नानालाल जी जाति तेली निवासी रिछेड हाल बामनटुकडा तहसील व जिला राजसमन्द

————अपीलांट

बनाम

1 श्री प्रकाश पिता भीमराज जाति तेली निवासी रिछेड हाल मुकाम मादडी देवस्थान तहसील व जिला राजसमन्द
2 ताराचन्द पिता पिता भीमराज जाति तेली निवासी रिछेड हाल मुकाम मादडी देवस्थान तहसील व जिला राजसमन्द
3. मन्जु पुत्री पिता भीमराज जाति तेली निवासी रिछेड हाल केलवा पति ललित जी तेली निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमन्द
4. मु0 मिठूबाई बेवा भीमराज जाति तेली निवासी रिछेड हाल मुकाम मादडी देवस्थान तहसील व जिला राजसमन्द
5. श्रीमती दन्द्राबाई पुत्री स्व0नानालाल तेली निवासी रिछेड हाल चारभुजा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द
6.राजस्थान राज्य जरिये उपतहसीलदार गढबोर जिला राजसमन्द

————रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 3241 दिनांक 10.10.2001 उपतहसीलदार, गढबोर जिला राजसमन्द (राज0) के आदेश के विरूद्व

उपस्थित :—
1— श्री एस0एन0लढढा, अधिवक्ता अपीलांट
2— श्री विश्वजीत कर्नावट अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

—:: निर्णय ::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार, गढबोर द्वारा राजस्व ग्राम रिछेड का नामान्तरकरण संख्या 3241 दिनांक 10.10.2001 को स्वीकृत करने से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त नामान्तरण फैसल होने की जानकारी नहीं थी। जानकारी होते ही जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार, गढबोर द्वारा राजस्व ग्राम रिछेड का नामान्तरकरण संख्या 3241 निर्णय दिनांक 10.10.2001 अवैध, विधिविरूद्व एवं प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तों के विपरीत है। नानालाल के इन्तकाल के बाद इन्तकाल शीट पर नानालाल जी के वारिसान के रूप में केवल पुत्र भीमराज व माता सोसरबाई को ही दर्शाया गया है। जबकि नानालाल के तीन पुत्रियां अपीलार्थीगण के रूप में जीवित थी। किन्तु अपीलार्थीगण के अस्तित्व को मिटाते हुय म्यूटेशन शीट पर सजरा ही गलत बनाया गया एवं उसी अनुरूप अपीलार्थीगण के पिता स्व0 नानालाल के नाम अंकित भूमियां गलत रूपेण सीधे ही भाई भीमराज के वारिसानों के नाम पर अंकित कर दी गई जो रेकार्ड पर उपलब्ध स्पष्ट त्रुटि है। वारिसानों की जांच सही रूपेण नही की गई हैं । अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया तथा अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग ऑडर नहीं है,जिससे आदेश प्रारम्भतः शुन्य ,व्यर्थ व अवैध होकर काबिल निरस्त है। कानूनन हिन्दू निर्वसीयती की मृत्यु होने पर सम्पत्ति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की प्रथम अनुसूचि में अंकित उत्तराधिकारियों पुत्र,पुत्री व पत्नि को सम्पत्ति न्यागत होती है तथा अपीलार्थीगण प्रथम अनुसूचि में आते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत की जांच किये बगैर ही श्री नानालाल के विरासत का नामान्तरण गलती से पुत्रीयों का नाम विलोपित करते हुये रेस्पोडेण्टगणों के नाम फैसल कर दिया जो अवैध व विधि विरूद्व हैं और आपस्त होने योग्य हैं । रेस्पोडेन्ट संख्या 05 द्वारा भी अपीलाण्टगण का नाम नामा0 में जोडने हेतु सहमती जबाव प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण सख्यां 3241 दिनांक 10. 10.2001 राजस्व ग्राम रिछेड पटवार हल्का रिछेड तहसील गढबोर जिला राजसमन्द को निरस्त कर नामान्तकरण अपीलार्थीगण के नाम खोले जाने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में बताया कि अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार, गढबोर द्वारा राजस्व ग्राम रिछेड का नामान्तरकरण संख्या 3241 दिनांक 10.10.2001 विधि अनुसार खोला गया हैं । अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होकर खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी । बहस पर मनन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्यों का अवलोकन किया गया । बहस एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर मै यह उचित समझता हूँ कि स्व0 नानालाल की मृत्यु के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना वारिसान की जाचं किये नामान्तरकरण खोला गया है। जिसे न्यायहित में निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है ।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपतहसीलदार गढबोर का राजस्व ग्राम रिछेड का नामान्तरकरण संख्या 3241 दिनांक 10.10.2001 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृतक श्री नानालाल के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः विधि सम्मत नामान्तरकरण की कार्यवाही अमल में लाई जावें।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 22.12..2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

नामान्तरकरण संख्या 3241 दिनांक